भारत सरकार
पोत परिवहन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **835** जिसका उत्तर
गुरूवार, **17 सितंबर**, 2020/26 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया जाना है

पुदुचेरी बंदरगाह के विकास की स्थिति

†835. **श्री वी० वैथिलिंगम:**

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुदुचेरी सरकार और चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार की पुदुचेरी बंदरगाह पर कार्गो बेड़े को संभालने के लिए इसे फीडर बंदरगाह के रूप में विकसित करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री मनसुख मांडविया)

(क) और (ख) चेन्नई पत्तन के एक फीडर पत्तन के रूप में पांडिचेरी पत्तन का विकास करने के लिए दिनांक 15.03.2017 को चेन्नई पत्तन न्यास और पुडुचेरी सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। चेन्नई पत्तन से एक विशेष कंटेनर जलयान द्वारा कंटेनरों के परिवहन के माध्यम से पुडुचेरी पत्तन पर एक 'ट्रायल रन' किया गया था। ट्रायल रन के दौरान यह पाया गया कि चैनल और पत्तन के मुहाने के कुछ क्षेत्रों में डुबाव कम था। इसलिए, कंटेनर जलयानों की संभलाई हेतु नियमित रूप से ड्रेजिंग किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) पोत परिवहन मंत्रालय ने पुडुचेरी पत्तन पर ड्रेजिंग कार्य को शुरू करने के लिए "सागरमाला योजना" के तहत पहले से ही 44 करोड़ रूपए की राशि मंज़ूर कर दी है। पुडुचेरी सरकार ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अपेक्षित पर्यावरण अनापत्ति तथा तटीय विनियमन जोन अनापत्ति प्राप्त कर ली है तथा कैप्टिल ड्रेजिंग के कार्य हेतु निविदाएं भी आमंत्रित की हैं।

*****